न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 89 / 2024
जी.सी.एम.एस. नं.: 2024 / 192

1. आनन्द कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति बिश्नोई निवासी 13 एपीडी ए तहसील श्रीविजयनगर
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति बिश्नोई निवासी 13 एपीडी ए तहसील श्रीविजयनगर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. इन्द्रा देवी पत्नी बहाल सिंह
2. उर्मिला पत्नी विकास कुमार
3. बलवीर सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
4. राजेश कुमार पुत्र बलवीर सिंह
5. विकास सिंह पुत्र बहाल सिंह
6. विष्णु कुमार पुत्र बहाल सिंह(मृतक)
7. वीजो पुत्री बहाल सिंह

(1 से 7) जाति बिश्नोई निवासी 13 एपीडी ए आबादी - तहसील श्रीविजयनगर

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—
1. श्री नवीन कुमार मिढ्ढा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राममिलाप बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थीगण
3. राजपैरोकार

—:: **निर्णय** ::—

दिनांक : 19.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि संयुक्त खाता चक 13 एपीडी ए तह. श्रीविजयनगर प.सं. 254 / 406 मु.नं. 20 कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.074है कमाण्ड व प.नं. 254 / 407 मु.नं. 29 कि.नं. 1 ता 25 की 5.817है. कमाण्ड इस प्रकार कुल 11.891है. कमाण्ड भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 7 केनाम से संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी है जिसमें प्रार्थी सं. 1 के नाम 1 / 12 हिस्सा व प्रार्थी सं. 2 के नाम से 1 / 4 हिस्सा भूमि दर्ज है चूंकि प्रतिवादी सं. 6 के नाम से सहबन से भूमि दो बार दर्ज हो गई है उक्त भूमि को आगे विवादित भूमि कहा जायेगा। विवादित भूमि में मौका पर प्रार्थीगण की अपने हिस्सा की भूमि पर फसल काश्त की हुई है एवं प्रार्थी सं. 2 द्वारा उक्त मु.न. 254 / 406 के कि.न.22—23 में अपनी ढाणी बना रखी है जिसमें वह परिवार सहित निवास कर रहा है एवं इसी प्रकार उक्त मुरब्बा के कि.न. 2[illegible] में [illegible] ने अपनी ढाणी बना रखी है व इसी मुरबबा के कि.न. 10 में [illegible] 2 व प्रतिवादी सं. 3 का संयुक्त ट्यूबवैल है तथा कि.न. 21 व 22 में [illegible] है और उक्त रक्बा की सिंचाई के लिए कि.न.1 व 2 में खाला बना [illegible] है। विवादित भूमि संयुक्त खाता में होने के कारण प्रार्थीगण को विभिन्न प्रकार की राजस्व कार्यवाहियां करने, सिंचाई सुविधा का बटवारा करने, समर्थन मूल्य पर फसल बेचान करने, सरकार से किसी प्रकार अनुदान प्राप्त करने या बैंक ऋण लेने आदि में भारी परेशानीयों का सामना करना पडता है इसलिऐ प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

सं. 1 ता 7 को कहा कि तहसील में चल कर अपने अपने हिस्सा की भूमि का भूमि की किस्म अनुसार खाता विभाजन करवाते है लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ता 7 आगे से आगे बहानेबाजी कर टालमटोल करते रहे एवं कहते रहे कि हमें अभी समय नही है, समय मिलते ही अपने तहसील परिसर चल कर विवादित भूमि का भूमि की किस्म अनुसार विधिवत बटवारा करवा लेगें। प्रार्थीगण द्वारा दावा पेश करने से अरसा 5 रोज पूर्व जब प्रार्थीगण ने पुनः जोर देकर अप्रार्थी सं। ता 7 को भूमि की किस्म अनुसार खाता विभाजन करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं. 1 ता 7 ने विधिवत बटवारा करवाने से इन्कार कर दिया एवं कहने लगे कि हम खाता विभाजन आज करवाये ना कल तुम्हे जो करना है कर लो। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया जो जैरकार है जिसके कामयाब होने की पुरी–2 आशा है। अप्रार्थी सं. 3 ता 5 ने प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में दखलन्दाजी पैदा करनी शुरू कर दी तथा किला 1 व 2 में बने सिंचाई के खाला से वादीगण की सिचाई में बाधा उत्पन्न कर दी प्रार्थीगण की ढाणी में आवागमन के लिऐ कि.न. 22 व 23 में चल रहे रास्ता में व्यवधान पैदा कर दिया तथा आज से अरसा पांच रोज पूर्व अप्रार्थी सं. 3 व 5 ने जबरदस्ती मु.न. 254/407 के किला नं. 1 व 2 में अपना ट्यूबवैल लगाने व सौलर पैनल लगाने लगे जिसका प्रार्थीगण को ज्ञात होने पर प्रार्थीगण ने मौका पर जाकर इस तरह बिना खाता विभाजन करवाये मु.न. 254/407 के किला नं. 1 व 2 में ट्यूबवैल व सौलर पैनल लगाने से मना किया एवं प्रार्थीगण ने उसे यह भी समझाया कि उक्त जमीन सयुक्तं खाता में दर्ज है इससिए वे न्यायालय मे चल कर भूमि की किस्म अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे बटवारा करवा लेवे तो अप्रार्थी स. 3 व 5 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये और अप्रार्थी स. 1 ने यह स्पष्ट धमकी दी कि वे प्रार्थीगण को उसके हिस्सा की कब्जा काश्त की भूमि में काश्त नंही करने देगा और मु.न. 254/407 के किला नं. 1 व 2 में. ट्यूबवैल व सौलर पैनल लगायेगें जो करना है कर लो। इसलिऐ प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण निवेदन करती है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में दर्ज उक्त विवादित भूमि मौका पर सयुक्त राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसका अभी तक पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन नहीं हुआ है ओर ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि उक्त विवादित भूमि मे किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है। क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सह काश्तकार का प्रत्येक सहकाश्तकारी भूमि के प्रति इन्च पर कब्जा होता है लेकिन अप्रार्थी सं. 3 व 5 बिना खाता विभाजन करवाये मु.न. 254/407 के किला नं. 1 व 2 में ट्यूबबैल व सौलर पैनल में बिना किसी अनुमति व स्वीकृति के तथा दौराने वाद विधि विरूद्ध तरीके से जबरदस्ती मु.न. 254/407 के किला नं. 1 व 2 में ट्यूबबैल व सौलर पैनल लगाने के प्रयासरत है जबकि अप्रार्थी सं. 3 व 5 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है अगर अप्रार्थी सं. 3 व 5 ऐसा करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण के सवैधानिक अधिकारो का हनन होगा तथा जिससे प्रार्थीगण को अपुर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपुर्ति मुद्रा की ऐवज में नहीं हो सकेगी और विवादित भूमि को लेकर अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न हो जाएगा तथा प्रार्थीगण के वाद का मकसद ही फौत हो जाऐगा। ऐसी स्थिति में आपसी तनाव व विवादो से बचने के लिऐ अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन पुर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अप्रार्थी सं. 6 का देहान्त अविवाहित स्थिति में हो चुका है। जिसके वारिसान अप्रार्थी सं. 1,5,7 है जो पूर्व में ही रिकार्ड पर है। ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी सं. 3 व 5 सयुक्त खाता की विवादित कृषि भूमि वाके चक 13 ए पी डी–ए, तहसील श्रीविजयनगर का प.स. 254/406, मु.न. 20 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.074 हैक्टेयर कमांड व प.सं. 254/407, मु.न. 29 के किला नं. 1

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:45:04 IST
Reason: SelfAttested

ता 25 की कुल 5.817 हैक्टेयर कमांड इस प्रकार कुल 11.891 हैक्टेयर कमांड कृषि भूमि खातेदारी भूमि पर प्रार्थीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में तथा प्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा में तथा प्रार्थीगण की ढाणी के आवागमन के लिऐ चल रहे रास्ता में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करने व करवाने बाज व ममनू रहे तथा बिना खाता विभाजन करवाये मु.न. 254/407 के किला नं. 1 व 2 में अथवा विवादित भूमि के किसी भू भाग में अपना ट्यूबबैल व सौलर पैनल स्थापित करने व करवाने से व्यादेशित रहे तथा अप्रार्थीगण वर्तमान मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण का जवाब जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगण जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 6 के नाम से भूमि दो बार संहबन से दर्ज नहीं हुई बल्कि प्रतिवादी सं. 6 को एक हिस्सा अपने पिता से विरासतन तथा दूसरा हिस्सा अपने दादा से जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज प्राप्त हुआ है। प्रतिवादीगण के द्वारा कभी भी कब्जा काश्त अनुसार भूमि का बंटवारा किये जाने से इन्कार नहीं किया है बल्कि स्वयं वादीगण द्वारा ही इसमें आना कानी करते आ रहे है। व अब प्रतिवादीगण द्वारा सुधार की हुई भमि पर अपना बताकर काबिज होना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को पारिवारिक बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त भूमि अनुसार खाता विभाजन हेतु बार बार कहा गया है। परन्तु वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा सुधारी गई भूमि को अपना बता कर जबरन काबिज होना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा कि.नं. 1 व 2 में बने सिंचाई खाले में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की और न ही कि.नं. 22 व 23 में चल रहे रास्ते में कोई व्यवधान पैदा किया है क्योंकि प्रतिवादीगण भी इसी सिंचाई खाले व अपनी ढाणी तक आने जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते है तथा न ही प्रार्थीगण ने मु.नं. 254/407 के कि.नं. 1 व 2 में अपना कोई अलग से ट्यूबवैल व सौलर पैनल लगाया है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया विवादित भूमि संयुक्त खाता की है जिसमें अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि जबरन काबिज होना चाहते है और कि.नं. 1 व 2 में ट्यूबवैल और सोलर लगाने पर उतारू है। संयुक्त खाता की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का समान अधिकार है, अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। ताफैसला मूल वाद विवादित भूमि पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी विवादित भूमि के विधिवत विभाजन की प्रक्रिया में सहयोग हेतु इंकार नहीं किया गया है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की सुधार की गई भूमि को कब्जा में प्राप्त करना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा कि.नं 1 व 2 में कोई ट्यूबवैल व सोलर पैनल नहीं लगाया है। प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत किया है, खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चक 13 एपीडी ए खाता सं. 16 में दर्ज मु.न. 2[illegible] की कुल 11.891है. भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है। [illegible]रण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विशिष्ट किलाजात को लेकर विवाद है [illegible] संयुक्त खाता की है। प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी[illegible] विभाजन की कार्यवाही में सहयोग नहीं कर रहे है जबकि अप्रार्थीगण का [illegible]न है कि उनके द्वारा कभी इंकार नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया गया है। संयुक्त खाता की भूमि में विभाजन से पूर्व प्रत्येक सहखातेदार का समान अधिकार होता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण उनकी सुधार की गयी भूमि पर काबिज होना चाहते है। यदि भूमि वाद पत्र के निस्तारण के दौरान अन्यत्र रहन बैय अन्तरण हो जाती है तो तृतीय पक्ष के सृजन होने से उभयपक्ष को

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:45:04 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्णीय क्षति होना तथा प्रकरण के निस्तारण में विधिक अड़चने उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब कारित होगा। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

—: आदेश :—

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्ष को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वे मूल वाद पत्र के निस्तारण तक विवादित भूमि चक 13 एपीडी ए खाता सं. 16 में दर्ज मु.नं. 20 व 29 की कुल 11.891है. भूमि पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:45:04 IST
Reason: SelfAttested